



3/15000

MB6 RA
10-03-19

मकल आदेश दिनांक 18-03-19
 धारा 10 उपखण्ड 20 सं० 2006
 काद संख्या-1249/04604017 39
 आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट बेराप्रसकार
 ग्राम- करौंदी परगना महेमा तहसील
 बरखी का तालाब, जिला- जयकान्ठ
 द्वारा पारित आदेश-नामालमजाफिलापि
 बरखी बरखी का तालाब, जयकान्ठ

नोडिओ निरस्त किया गया
 मकल आदेश दिनांक 18-03-19 की
 उभाहित सामग्री संलग्न है





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ, तहसील:- बख्शी का तालाब
न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 01739/2019

आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उ०प्र० सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- 1201910460401739

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 18/03/2019

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही वादी आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय 538क/200बी, मौसमबाग, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी गिरधारी ताल शुक्ला के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी जिसमें कहा गया है कि वादी प्रकृत भूमि कतौनी वर्ष 1424-1425 ई० के खाता सं० 67 गाटा सं० 27मि रकबा 0.506हे० व खाता सं० 70 की गाटा सं० 28मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 69 की गाटा सं० 29मि रकबा 0.078हे०, खाता सं० 72 की गाटा सं० 30मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 71 की गाटा सं० 31मि रकबा 0.079हे०, खाता सं० 73 की गाटा सं० 32मि रकबा 0.069हे० खाता सं० 436 की गाटा सं० 47 रकबा 0.0050हे० खाता सं० 352 की गाटा सं० 48 रकबा 0.146हे० में से रकबा 0.097हे०, खाता सं० 441 की गाटा सं० 50 रकबा 0.292हे० में से रकबा 0.083हे०, खाता सं० 388 की गाटा सं० 51मि रकबा 0.284हे० में से रकबा 0.152हे०, खाता सं० 349 की गाटा सं० 52मि रकबा 0.275हे० में से रकबा 0.185हे०, खाता सं० 350 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.892हे०, खाता सं० 68 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.446हे० कुल रकबा 2.752हे० स्थित ग्राम करौदी परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा प्रार्थी का खिज व दर्खील है, उक्त भूमि पर कृषि कार्य या बागवानी नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान समय में न तो कृषि कार्य किया जा रहा है और न ही उस पर बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का व्यवसाय किया जा रहा है, जिस कारण से प्रार्थी को लगान आदि अदा करने में परेशानी होती है। प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि आवासीय है, जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा आस-पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। ऐसी दशा में उक्त भूमि को प्राथमिक कृषि प्रयोजन से भिन्न आवासीय/औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाना नितान्त आवश्यक है, उक्त समस्त भूमि को प्रयोजन आवासीय/व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त वादीय भूमि स्थित ग्राम करौदी परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ को गैर कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक प्राथमिक करने की प्रार्थना की गई है।



संलग्न प्रार्थना पत्र की प्राविधानों के अन्तर्गत तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि खाता सं० 67 गाटा सं० 27मि रकबा 0.506हे० व खाता सं० 70 की गाटा सं० 28मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 69 की गाटा सं० 29मि रकबा 0.078हे०, खाता सं० 72 की गाटा सं० 30मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 71 की गाटा सं० 31मि रकबा 0.079हे०, खाता सं० 73 की गाटा सं० 32मि रकबा 0.069हे० खाता सं० 436 की गाटा सं० 47 रकबा 0.0050हे० खाता सं० 352 की गाटा सं० 48 रकबा 0.146हे० में से रकबा 0.097हे०, खाता सं० 441 की गाटा सं० 50 रकबा 0.292हे० में से रकबा 0.083हे०, खाता सं० 388 की गाटा सं० 51मि रकबा 0.284हे० में से रकबा 0.152हे०, खाता सं० 349 की गाटा सं० 52मि रकबा 0.275हे० में से रकबा 0.185हे०, खाता सं० 350 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.892हे०, खाता सं० 68 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.446हे० कुल रकबा 2.752हे० स्थित ग्राम करौदी परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ पर आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय 538क/200बी, मौसमबाग, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी गिरधारी ताल शुक्ला का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि के आस-पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। तथा उक्त भूमि पर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उपरोक्त भूमि को पैमाइश धारा 80 के नियम 85 के अन्तर्गत मु० रू० 1,71,000/- रूपये एक ताल एकहत्तर हजार मात्र) तथा स्टाम्प शुल्क मु० रू० 1,71,000/- रूपये एक ताल एकहत्तर हजार मात्र) राजकीय कोष में जमा कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः उक्त भूमि को धारा 80, उ०प्र० राजस्व संहिता- 2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है।

नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ/सरकार को नोटिस जारी की गयी जो वाद तामील संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।



पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार, बखशी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि भूमि खाता सं० 67 गाटा सं० 27मि रकबा 0.506हे० व खाता सं० 70 की गाटा सं० 28मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 69 की गाटा सं० 29मि रकबा 0.078हे०, खाता सं० 72 की गाटा सं० 30मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 71 की गाटा सं० 31मि रकबा 0.079हे०, खाता सं० 73 की गाटा सं० 32मि रकबा 0.069हे० खाता सं० 436 की गाटा सं० 47 रकबा 0.0050हे० खाता सं० 352 की गाटा सं० 48 रकबा 0.146हे० में से रकबा 0.097हे०, खाता सं० 441 की गाटा सं० 50 रकबा 0.292हे० में से रकबा 0.083हे०, खाता सं० 388 की गाटा सं० 51मि रकबा 0.284हे० में से रकबा 0.152हे०, खाता सं० 349 की गाटा सं० 52मि रकबा 0.275हे० में से रकबा 0.185हे०, खाता सं० 350 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.892हे०, खाता सं० 68 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.446हे० कुल रकबा 2.752हे० स्थित ग्राम करौदी परगना महोना तहसील बखशी का तालाब जनपद लखनऊ पर आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट प्रधान कार्यलय 538क/200बी, मौसमबाग, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी गिरधारी लाल शुक्ला का नाम संलग्नपीथ भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रथमतः भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रथमतः भूमि पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पार्थी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चालान फार्म की मूल प्रति मु० नं० 1,71,000/- रूपये एक लाख एकहत्तर हजार मात्र) तथा स्टाम्प शुल्क मु० नं० 1,71,000/- रूपये एक लाख एकहत्तर हजार मात्र) फोटोलाफ, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। तथा आकार पत्र 41 व 45 प्रस्तुत किये हैं। अतः उपरोक्त भूमि को राजस्व संहिता की धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्राख्यापन किया जाना उचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है। परन्तु भू-उपयोगिता की विधिमान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महापौजना-2021 के उपबन्ध प्रभावी होंगे, जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं शहरी नियोजन विभाग से है।

आदेश

ग्राम करौदी परगना महोना तहसील बखशी का तालाब जिला लखनऊ की खतीनी फसली 1424-1429फस० में मि खाता सं० 67 गाटा सं० 27मि रकबा 0.506हे० व खाता सं० 70 की गाटा सं० 28मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 69 की गाटा सं० 29मि रकबा 0.078हे०, खाता सं० 72 की गाटा सं० 30मि रकबा 0.080हे०, खाता सं० 71 की गाटा सं० 31मि रकबा 0.079हे०, खाता सं० 73 की गाटा सं० 32मि रकबा 0.069हे० खाता सं० 436 की गाटा सं० 47 रकबा 0.0050हे० खाता सं० 352 की गाटा सं० 48 रकबा 0.146हे० में से रकबा 0.097हे०, खाता सं० 441 की गाटा सं० 50 रकबा 0.292हे० में से रकबा 0.083हे०, खाता सं० 388 की गाटा सं० 51मि रकबा 0.284हे० में से रकबा 0.152हे०, खाता सं० 349 की गाटा सं० 52मि रकबा 0.275हे० में से रकबा 0.185हे०, खाता सं० 350 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.892हे०, खाता सं० 68 की गाटा सं० 70मि रकबा 0.446हे० कुल रकबा 2.752हे० मालगुजारी 60ख से मुक्त करते हुये प्रथमतः भूमि कृषि मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किये जाने के कारण राजस्व संहिता की धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत इन्स बार्त के साथ अकृषिक प्राख्यापित की जाती है कि अदिष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो राजस्व संहिता की धारा 82 राजस्व संहिता के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बी०के०टी० को खतीनी में तदनुसार प्रेषित हेतु प्रेषित हो तथा एक सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक व मिसिलबन्द रजिस्ट्रार संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

(प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी)

उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर-प्रथम श्रेणी

बी०के०टी० लखनऊ

निर्णय दिनांक 10/3/19 को सुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी)

उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर-प्रथम श्रेणी

बी०के०टी० लखनऊ

वाचस्पिकता -
 हस्ताक्षर -
 दिनांक - 10/3/19

एस० डी० नो०/एन०. ६०
 लखनऊ का न्यायालय